# झारखण्ड सरकार
## श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
## अधिसूचना

एस0ओ0 _____ राँची, दिनांक _____

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की एक योजना विभागीय अधिसूचना संख्या–1353 दिनांक 17.07.2012 द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

इस योजना के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाईयाँ आ रही थीं। इस पर सम्यक विचारोपरान्त श्रमिक हित में परिशिष्ट–'क' के अनुसार इस योजना के संशोधित करने तथा इसके परिचालन के निमित्त निम्नानुसार कार्य व्यवस्था निरूपित करती है :–

**परिभाषाएँ:–**

1. इस योजना में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा जरूरत न हो :–

(क) "दुर्घटना" से अभिप्रेत है, बाह्य हिंसा के कारण दुर्घटना के चलते मृत्यु जो दृश्यमान प्रकृति का हो और इसमें शामिल हैं :–

ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाघात, साँप काटना, पानी में डूबना, आग, वृक्ष अथवा भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा अपराधिक आक्रमण आदि / जो भी हो, यह सूची व्याख्यात्मक है, परन्तु अंतिम नहीं है।

परन्तु स्वेच्छा से लगायी गयी चोट या आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थ के सेवन के प्रभाव से हुई दुर्घटना या अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करने के काम में हुई मृत्यू इसमें शामिल नहीं है। यह योजना परमाणु विकिरण तथा युद्ध के कारण मृत्यु के मामलों में भी लागू होगी।

(ख) "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रखण्ड के विकास पदाधिकारी।

(ग) "अंचल अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अंचल के अंचल अधिकारी।

(घ) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

(ड0) "आश्रित" से अभिप्रेत है, मृतक मजदूर की विधवा, महिला मजदूर के मामले में पति, पत्नी / पति के जीवित नहीं रहने की स्थिति में, आश्रित पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता–पिता, मृतक अविवाहित मजदूर की स्थिति में माता–पिता संयुक्त रूप से आश्रित होगा।

<u>नोट</u> :– अनुदान की राशि सभी आश्रितों के बीच समान अनुपात में भुगतान किया जायेगा।

(च) "श्रमायुक्त" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रमायुक्त।

(छ) "श्रम अधीक्षक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम अधीक्षक।

(ज) "प्रवासी मजदूर" से अभिप्रेत है, अन्य राज्यों में असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाला मजदूर।

(झ) "योजना" से अभिप्रेत है, परिशिष्ट 'क' में निरूपित झारखण्ड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना, 2015

2. शब्द और अभिव्यक्ति जो प्रयोग में आया है लेकिन इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, उसका वही समान अर्थ होगा, जैसे झारखण्ड राज्य में समझा जाता है।
3. आश्रितों के उपर्युक्त क्रम में विधिक आश्रितों का निर्णय अंचल अधिकारी लेंगे।
4. यह योजना वैसे प्रवासी मजदूरों पर लागू होगी जो झारखण्ड राज्य के अधिवासी हो एवं 18 से 65 वर्ष की आयु–वर्ग में आते हों।
5. प्रवासी मजदूरों की मृत्यु के मामले में न्यायनिर्णयार्थ आश्रितों को योजना में विहित प्रावधानुसार राशि रेखांकित चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतेय होगी। यदि अंचलाधिकारी द्वारा घोषित आश्रित के विरूद्ध कोई विवाद हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील किया जा सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
6. (क) किसी दुर्घटना से संबद्ध जानकारी प्रपत्र–1 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/ जिला दण्डाधिकारी/पंचायत/शहरी निकाय को दी जायेगी। प्रपत्र की अनुपलब्धता के मामले में सादे कागज पर जानकारी दी जा सकेगी, सभी जिला कार्यालयों/अनुमण्डल कार्यालयों/प्रखण्ड कार्यालयों/ग्राम पंचायत कार्यालयों तथा शहरी निकाय कार्यालयों के प्रपत्र पर्याप्त मात्रा में रखे जायेंगे।

(ख) मृत प्रवासी मजदूर के आश्रितों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दुर्घटना की जानकारी शीघ्रता से उपर नामित प्राधिकार को दे सकेगा।

7. अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा पत्र प्रपत्र–2 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में दायर किया जायेगा। श्रम अधीक्षक/जिला दण्डाधिकारी दावा पत्र प्राप्ति के तुरन्त बाद, इन्हें दावा की जाँच एवं प्रतिवेदन के लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेज देगा।

8. (क) दावे के प्राप्त होने के तुरन्त बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उसकी जाँच करेंगे।

(ख) दावा–पत्र की जाँच के समय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रवासी मजदूर के नियोजन, मृत्यु के कारण, उसकी आयु एवं वैध आश्रित तथा दावा की सत्यता के बारे में तथ्य सुनिश्चित करेंगे।

(ग) दावों के प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर जाँच पूरी कर ली जायेगी एवं श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी को बिना किसी विल
म्ब के भेजा जायेगा।

(घ) जाँच प्रतिवेदन को श्रम अधीक्षक/जिला दण्डाधिकारी द्वारा अविलम्ब प्रक्रियाधीन कर लिया जायेगा।

9. (क) यदि जिला दण्डाधिकारी उचित समझे, तो वे दावे की जाँच स्वयं अथवा किसी अन्य अधीनस्थ पदाधिकारी से करायेंगे। ऐसी जाँच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर पूरी कर ली जायेगी।

(ख) जिला दण्डाधिकारी, जैसी स्थिति हो, जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दावा की मंजूरी देंगे। यदि दावा की मंजूरी दी जाती है, तो उनके आश्रितों को रेखांकित चेक/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। दावा अस्वीकृत होने की स्थिति में, कारण सहित सूचना जल्द से जल्द दावाकर्त्ता को भेजी जायेगी।

10. सभी प्रखण्ड एवं जिला कार्यालयों में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें दुर्घटना से संबद्ध जानकारी और दावा से संबंधित निर्णय अभिलेखित एवं संरक्षित रहेंगे। इस रजिस्टर का संधारण निर्धारित प्रपत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय में पोषित किया जायेगा।

11. (क) राज्य स्तर पर श्रमायुक्त, झारखण्ड इस योजना के प्रभारी होंगे।

(ख) जिले में श्रम अधीक्षक इस योजना के प्रभारी होंगे। उपायुक्त अपने अधीनस्थ किसी अन्य पदाधिकारी को इस कार्य हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे एवं वह पदाधिकारी इस योजना का प्रभारी होगा।

(ग) उपायुक्त जिले में इस योजना का पुनर्विलोकन करेंगे तथा इस योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए यथोचित निदेश दे सकेंगे।

12. प्रत्येक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजेंगे, तथा जिला पदाधिकारी प्रत्येक महीने की 15वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन श्रमायुक्त, झारखण्ड को भेजेंगे।

13. यदि किसी प्रवासी मजदूर की बीमा पॉलिसी हो, तो भी उनके आश्रितों को इस योजना के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

14. ऐसे सभी पदाधिकारी जो इस योजना के अन्तर्गत निहित कर्त्तव्यों का निर्वहन जानबूझकर नहीं करते हों, वे अनुशासनिक कार्रवाई के उत्तरदायी होंगे।

15. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को इस योजना में संशोधन करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर निदेश देने की शक्ति होगी।

(संख्या–03/श्रमा० का० (Int. State mig Act) 13/2014. श्र0नि0 783 राँची दिनांक 30/4/15)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(.....) 30/4/2015

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–_____ श्र0नि0 783 राँची दिनांक 30/4/15

प्रतिलिपिः–सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक सहित/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं तत्परतापूर्वक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रेषित।

(.....) 30/4/2015

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–_____ श्र0नि0 783 राँची दिनांक 30/4/15

प्रतिलिपिः–सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

(.....) 30/4/2015

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–_____ श्र0नि0 783 राँची दिनांक 30/4/15

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(.....) 30/4/2015

सरकार के अवर सचिव।

## परिशिष्ट–'क'

## झारखण्ड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना, 2015 ।

झारखण्ड राज्य से बाहर प्रवास पर गये मजदूरों का पलायन रोकने, उनकी समुचित पहचान करने तथा उनकी पहचानोपरांत रोजगारोन्मुखी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान करने के उद्देश्य से प्रवासी मजदूरों के हितार्थ कल्याणकारी कार्य हेतु अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के उपरांत स्थानीय स्तर पर पंचायती संस्थानों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय पंचायतें प्रवासी मजदूरों की पहचान करने तथा कल्याणकारी एवं रोजगारन्मुखी योजनाओं का कार्यान्वयन करके उनके पलायन को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। फिर भी आवश्यकता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने हेतु राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के हितार्थ पंजीयन कराकर जाने वाले मजदूरों के हित में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

(क) वैसे प्रवासी मजदूरों को, जो किसी नियोजक के यहाँ कार्य करने हेतु किसी ठेकेदार/एजेंट इत्यादि के माध्यम से प्रवास करते हैं, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत ठेकेदार/एजेंट को अनुज्ञप्ति देने के साथ–साथ निम्नलिखित प्रपत्र में हरे रंग का परिचय पत्र निर्गत करना होगा। यह परिचय पत्र पंचायत सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

### परिचय पत्र (हरा रंग)

प्रवासी मजदूर की अभिप्रमाणित फोटो।

निर्गत करने वाली पंचायत एवं जिला का नाम:–.....

(1) प्रवासी मजदूर का नाम:–.....

पिता का नाम:– .....

एवं पूर्ण पता (दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो, सहित):–.....

.....

.....

(2) प्रवासी मजदूर के साथ जाने वाले परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं मजदूर से संबंध:–.....

.....

(3) प्रधान नियोजक का नाम एवं पता (जहाँ मजदूर काम करने जा रहा हो):–.....

.....

(4) ठेकेदार/एजेंट का नाम, पता (दूरभाष सं0) एवं अनुज्ञप्ति संख्या, यदि हो तो, सहित:–.....

.....

.....

(5) परिचय पत्र निर्गत करने वाले जिला के उपायुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का दूरभाष संख्या:–.....

**प्रवासी मजदूर का हस्ताक्षर** **पंचायत सचिव का हस्ताक्षर**

(ख) वैसे प्रवासी मजदूरों को, जो स्वयं कार्य की तलाश में बाहर जाते हैं, निम्नलिखित प्रपत्र में लाल रंग का परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा।

**परिचय पत्र (लाल रंग)**

निर्गत करने वाली पंचायत एवं जिला का नाम:–.....

(1) प्रवासी मजदूर का नाम:–.....

पिता का नाम:– .....

एवं पूर्ण पता (दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो, सहित):–.....

.....

.....

प्रवासी मजदूर की अभिप्रमाणित फोटो।

(2) प्रवासी मजदूर के साथ जाने वाले परिवार के अन्य सदस्यों का नाम एवं मजदूर से संबंध:–.....

.....

.....

(3) कार्य के लिए किसी नियोजक के यहाँ या स्थान विशेष में जा रहे हों तो उसका नाम एवं पता (दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो, सहित) :–.....

.....

.....

(4) परिचय पत्र निर्गत करने वाले जिला के उपायुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का दूरभाष संख्या:–.....

**प्रवासी मजदूर का हस्ताक्षर** **पंचायत सचिव का हस्ताक्षर**

2. इस कोटि के कामगार नियोजकों/ठेकेदारों की पूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण अधिक Vulnerable होते हैं, अतः उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन दोनों कोटि के पंजीकृत कामगारों की एक ग्रामवार पंजी पंचायत कार्यालय में रखी जायेगी जो आवश्यकतानुसार सर्वसाधारण की जानकारी/वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी जिससे वरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक ग्राम एवं पंचायत से मजदूरों के पलायन की स्थिति, उनके प्रवास का कारण तथा संभावित नियोजक/ठेकेदार की जानकारी उपलब्ध हो सके। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में ऐसी जानकारी मिल रही थी कि झारखण्ड में पंजींकृत कराकर प्रवास करने वाले कामगारों की संख्या अभी भी लगभग नगण्य है। अपंजीकृत कर्मकार पंजीकृत कर्मकारों की तुलना में अधिक Vulnerable हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रवास करने वाले कर्मकारों के पंजीयन हेतु पंचायतों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था रखी जाय। इस योजना में प्रवासी कर्मकारों का निबंधन करने पर संबंधित पंचायत को प्रति निबंधन रूपये 100/– (एक सौ रूपये) मात्र के दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, जिसे पंचायतों के द्वारा आवश्यकतानुसार कल्याणकारी योजनाओं के लिए व्यय किया जा सकेगा।

3. प्रवास की स्थिति में कई बार इन मजदूरों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना इत्यादि का सामना करना पड़ता है परन्तु इनके हितार्थ कोई योजना नहीं रहने के कारण विकट परिस्थिति में उनके समुचित ईलाज एवं पुनर्वास की कार्रवाई करने तथा उनके आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः पंजीकृत कामगारों के प्रोत्साहन को अक्षुण्ण रखते हुए ऐसे प्रवासी कर्मकारों को, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने तथा स्थायी या पूर्ण रूप से अशक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित लाभ देय होंगे:–

| क्र0 | | पंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ | अपंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी या पूर्ण अशक्तता होने पर | रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र का भुगतान आश्रितों/लाभुकों को किया जायगा। | रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र का भुगतान आश्रितों/लाभुकों को किया जायगा। |

| क्र0 | | पंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ | अपंजीकृत कर्मकार लाभुकों को देय लाभ |
|---|---|---|---|
| 2 | दुर्घटना में दो आँखों या दो अंगों की हानि | रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र का भुगतान | रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र का भुगतान |
| 3 | दुर्घटना में एक आँख या एक अंग की हानि | रू0 75,000/– (रूपये पचहतर हजार) मात्र का भुगतान | रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार) मात्र का भुगतान |
| 4 | दुर्घटना/प्राकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु होने/पूर्ण अशक्तता होने पर | दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का संपूर्ण व्यय | दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का संपूर्ण व्यय |

इसके अतिरिक्त गंभीर प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना या कार्यस्थल से नियमानुसार विमुक्त कराये जाने की स्थिति में अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की जानकारी मिलने पर संबंधित जिले के उपायुक्त संबंधित कामगारों को कार्यस्थल/दुर्घटना स्थल से पैतृक आवास तक पहुँचाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगें।

4. राज्य से बाहर काम के लिए पलायन करने वाले कामगारों का एक बहुत बड़ा वर्ग अकुशल महिला कर्मकारों का भी है, जो घरेलू नौकर इत्यादि का कार्य करने के लिए मजबूरी में बाहर जाती हैं तथा वहाँ आर्थिक एवं यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। अतः महिला कर्मकारों को, जो काम की खोज में अकुशल कोटि के श्रमिक के रूप में राज्य से बाहर कार्य करने जाती हैं, एवं Trafficking की शिकार हैं, या जो Vulnerability zone में हैं, चिन्हित करके मान्यता प्राप्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों एवं इस क्षेत्र में कार्यरत योग्य गैर सरकारी संगठनों से tie-up करके उनको आवश्यकतानुसार Nursing, Hospitality, Security, management, Computer Operator, इत्यादि व्यवसायों में नियोजित कराकर उनके कौशल विकास, नियोजन एवं आर्थिक उन्नयन की कार्रवाई की जानी है।

----------x----------